☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2021–22 / 2310-2313 दिनांक : 28/12/2021

बिड सूचना सं. 01 / 2021–22

इस कार्यालय के अन्तर्गत वर्ष 2021–2022 के लिए अनुबन्ध के आधार पर कार्य कराने हेतु अनुभवी पंजीकृत संस्थाओं से निम्नलिखित कार्यो के लिए प्रत्येक बोली के लिए पृथक–पृथक मुहरबन्द निविदाएं / बोली निम्नानुसार आमन्त्रित की जाती हैं:–

क्र. सं.	कार्य का नाम	कुल अनुमानित लागत	बयाना राशि	बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	बिड खोलने की तिथि व समय
1.	**कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन–3**	400000	रू. 8400 / –	10.01.2022 समय 12:30	11.01.2022 समय 11:00
2.	**प्रयोगशाला परिचारक-3**	350000	रू. 7000 / –	10.01.2022 समय 12:30	11.01.2022 समय 11:00

उपरोक्त निविदायें दिनांक 28 / 12 / 2021 से दिनांक 09 / 01 / 2022 तक किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 09:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है तथा दिनांक 10 / 01 / 2022 को दोपहर 12:30 तक इस कार्यालय में जमा करा सकते है। डबल कवर सिस्टम के अन्तर्गत प्राप्त निविदाओं में तकनीकी बोली प्रपत्र को दिनांक 11 / 01 / 2022 को दोपहर 11:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा। तकनीकी बोली में सफल निविदादाताओं के वित्तीय बोली प्रपत्र दिनांक 11 / 01 / 2022 को ही खोला जावेगा । निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट http:/www./rpcb.rajasthan.gov.in & sppp.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड किए जा सकते है। शर्ते एवं अन्य विवरण विभागीय वेबसाईट एवं उपापन पोर्टल पर देखे जा सकते है। निविदा शुल्क की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना होगा जो कि **क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा के नाम** देय होगा। प्रत्येक कार्य के लिए अलग–अलग निविदा शुल्क एवं अलग–अलग अमानत राशी का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जावेगा। अमानत राशि के लिए डिमान्ड ड्राफ्ट ही स्वीकार किये जायेंगे जो कि **क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा के नाम** से प्रस्तुत करना होगा।

(राकेश गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–.

1. श्रीमान् निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि निविदा सूचना किसी एक क्षेत्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
2. सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
3. श्रीमान् ए.सी.पी.(आई.टी.सेल) महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख कि टेण्डर बोर्ड की वेबसाईट पर पर अपलोड करवाने का श्रम करे।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(राकेश गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

O/c

☏: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षेत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2021–22 /   दिनांक :

निविदा प्रपत्र

संदर्भ–निविदा सूचनाः 01 / 2021–22 /   दिनांकः

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवाएं संविदा पर ऐजन्सी के माध्यम से दिये जाने हेतु बिड–

1. बिडदाता / फर्म का नाम व पताः ______________________
   (मय दूरभाष / मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल) ______________________
   पते (यदि हो) सहित ______________________
   ____

2. बोलीदाता / संवेदक द्वारा विभिन्न आवश्यक पंजीकरण इत्यादि का विवरणः–

क्र. सं.	विवरण	रजि. संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

3. बिड प्रपत्र देने का पताः — क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राज0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्लाट नं. 2ए रोड़ न 6 इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा
4. मूल डी॰डी॰ जमा कराने का पताः — क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राज0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्लाट नं. 2ए रोड़ न 6 इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा
5. मूल डी॰डी॰ जमा कराने की अन्तिम तिथि एवं समयः — जमा कराने की अन्तिम तिथिः 10.01.2022
   समयः दोपहर 12.30 बजे
6. बिड शुल्क का विवरणः (जो क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, कोटा, के पक्ष में देय हो) — राशि रूपये 200 / – प्रति बिड
   डी.डी. / बैंकर्स चैक सं॰——— दिनांकः———
   डी.डी. / बैंकर्स चैक सं॰——— दिनांकः———
   बैंक का नाम————————————
7. अमानत राशिः — राशि रू. 8400 (आठ हजार चार सौ मात्र)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम/क्षेका को/जन–325/2021–22/ दिनांक :

(जो क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, डी.डी./बैंकर्स चैक सं॰––––– दिनांकः––––––कोटा, के पक्ष में देय हो) बैंक का नाम––––––––––––––––––––––

8. निविदा दरें निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होंगी (संवेदक द्वारा Online Bid में Box No.8,9 में दरें भरी जानी है):–

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सामग्री राशि/उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिक की संख्या	राशि (प्रतिमाह)	प्रतिमाह	प्रतिमाह	प्रतिमाह/प्रति व्यक्ति (दर पूर्ण रुपये में अंकित की जावे)	प्रतिमाह/प्रति व्यक्ति (दर पूर्ण रुपये में अंकित की जावे)	प्रतिमाह/प्रति व्यक्ति
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	कम्प्यूटर मय ऑपरेटर	उच्च कुशल	8476/–	3	25428	12%	3.25%			

9. बिडदाता का विवरण एवं अनुभव प्रमाण पत्रः बिड आवेदनकर्ता अपनी फर्म/एजेन्सी का पूर्ण विवरण, कन्सटीट्यूशन एवं अनुभव का पूर्ण विवरण मय तत्संबंधी प्रमाण पत्रों के संलग्न करें।

10. निविदादाता द्वारा संलग्न किये गये दस्तावेजों की सूची (सूची अलग से भी निम्न प्रारूप में संलग्न की जा सकती है):–

क्रम संख्या	संलग्न दस्तावेज का नाम	निविदा में पृष्ठ संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

11. मैंनें/हमनें बिड प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है। हमें सभी शर्तें मान्य होने बाबत् शर्तों पर सहमति के पश्चात् हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, कोटा

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औधोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2020–21 /   दिनांक :

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवाएं संविदा पर लेने के लिए मांगी जाने वाली निविदा के लिए शर्तें:–

बिडदाता को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए एवं बिड भरते समय इनकी पूर्णतः पालना करनी चाहिए। बिडदाता को यदि किसी शर्त या कार्य के बारे में कोई सन्देह हो या वह अस्पष्ट लगे तो, अपनी बिड प्रस्तुत करने से पहले उसका क्षेत्रीय कार्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जावे। किसी भी शर्त की व्याख्या या विशेष विवरण के संबंध में मण्डल का निर्णय ही अंतिम व मान्य होगा।

1. बिड प्रपत्र http://www.rpcb.nic.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकेगा।
2. बिड प्रपत्र राशि, बिड अमानत राशि के मूल डी.डी./बैंकर्स चैक निविदा सूचना में दी गई तिथि व समय के पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय प्लाट नं.2ए रोड़ नं. 6 इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा में जमा करवाया जाना अनिवार्य है। बिना मूल डी.डी./बैंकर्स चैक प्राप्त होने वाली निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. सफल बिडदाता को बिड स्वीकृति दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर स्वयं के खर्चे पर रूपये 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।
4. बिड (ठेका) अनुमोदित होने पर जारी कार्य आदेश की तिथि के सात दिवस में वार्षिक ठेके की राशि के 5% के बराबर राशि प्रतिभूति के रूप में क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, कोटा के पक्ष में डी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में प्रस्तुत करनी होगी **तथा MSME धारक को भारत सरकार द्वारा** निर्धारित छूट देय होगी। आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना जरूरी है। प्रतिभूति पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा। ठेका अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ठेका अवधि में कार्य सन्तोषजनक होने तथा किसी प्रकार का विवाद नहीं होने की स्थिति में प्रतिभूति राशि नियमानुसार वापिस लौटा दी जावेगी। बिडदाता चाहे तो अमानत राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित करा सकेगा।
5. निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करने अथवा प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराने अथवा निहित समय में मैन विद् कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं कराने पर उसकी जमा अमानत राशि जब्त करते हुये बिड निरस्त कर दी जावेगी एवं अन्य बिडदाता की बिड स्वीकृत करने का निर्णय लिया जा सकेगा।
6. यह बिड केवल वही व्यक्ति/फर्म/संस्थाएं प्रस्तुत कर सकती है, जिनका पंजीयन श्रम विभाग एवं आयकर विभाग पी.एफ. व ई.एस.आई. में हो। साक्ष्य के रूप में उक्त पंजीयन प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियॉं बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बिना पंजीयन प्रमाण पत्रों के आवेदन करने वाली फर्म/व्यक्ति/संस्थाओं की बिड को निरस्त समझा जावेगा।
7. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर संविदा पर कार्य अवधि का ठेका स्वीकृति दिनांक से प्रारम्भ में 1 वर्ष की अवधि के लिए होगा। कार्य संतोषप्रद होने पर ठेका आगे बढ़ाया जा सकेगा।
8. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद् मैन) की संख्या व योग्यता विवरणः–
   - **कम्प्यूटर मय ऑपरेटर(मैन विद् मशीन) की संख्या** :– लगभग 03
   - **कर्मी की योग्यता :–**

     (i)कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होनी चाहिए। उसे विन्डोज/लाइनेक्स एन्वायरमेन्ट (Windows/Linux environment) ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट व इन्टरनेट का ज्ञान/अनुभव एवं कार्यालय सम्बंधी कार्यों के निष्पादन हेतु कम्प्यूटर पर कार्य करने तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी की टाईपिंग का ज्ञान होना आवश्यक हैं।

     (ii)कर्मी स्वस्थ एवं न्यूनतम 21 वर्ष का होना चाहिए।
9. <u>मशीनों का विवरण</u>– निविदादाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार या इससे उच्च श्रेणी का होना आवश्यक है–

   (A) **Computer-** Intel Core i3/ Equivalent AMD based Computer or higher speed, RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office, Responsibility of Software license will be borne by the contractor.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांक: राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2020–21 / दिनांक :

(B) **Printer-** Black and White laser printer with speed 15ppm or more. For specific needs, Dot Matrix/ inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

(C) **UPS-** Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.

10. निविदादाता एजेन्सी का G.S.T. हेतु रजिस्ट्रेशन आवश्यक है तथा निविदा के साथ इसके प्रमाण पत्र एवं साक्ष्य की प्रति संलग्न की जानी आवश्यक हैं।

11. निविदादाता एजेन्सी उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर्स में 15 दिन पूर्व सूचना देकर बदलाव कर सकेगा। फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गए कम्प्यूटर आपरेटर्स में कुल उपलब्ध कराये गए ऑपरेटर्स की संख्या के 20 प्रतिशत तक स्थायी बदलाव किया जा सकेगा। इससे अधिक स्थायी बदलाव करने से पूर्व मण्डल की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

12. यदि किसी कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पाई जाती है तो उक्त अवधि में अन्य व्यवस्था करके निविदादाता को तुरन्त उसके स्थान पर नया कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाना होगा।

13. सभी कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को आई.डी. कार्ड एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाये जावेगें तथा कार्यालय समय में सभी कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को आई.डी. कार्ड साथ रखना आवश्यक होगा।

14. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक कार्य सम्पादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार मान्य होगा।

15. सफल निविदादाता कार्य पर जिन कर्मियों को संविदा के आधार पर लगायेगा उनके नाम एवं पते मय दो फोटो तथा शिक्षा एवं तकनीकी योग्यता से सम्बंधित प्रमाण पत्रों की स्वच्छ एवं पठनीय प्रतियाँ एवं मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई.डी. कार्यादेश जारी होने की तिथि के 5 दिनों के अन्दर–अन्दर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। अनुबन्ध की अवधि में यदि किसी कर्मी को बदला जाता है तो उसके बदले नये कर्मी का नाम पता मय फोटो तुरन्त ही प्रस्तुत करने होंगे।

16. किसी भी तरह के न्यायिक विवादों का न्याय क्षेत्र कोटा होगा।

17. उपलब्ध करवाएं जाने वाले कर्मियों के लिए सफल निविदादाता ही नियोक्ता होगा। निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराएं गये कार्मिकों को राज्य मण्डल के विरूद्ध किसी भी प्रकार के कानूनी पहलू अथवा न्यायिक कार्यवाही की जाती है, तो निविदादाता संस्था / एजेन्सी ही उसके लिए उत्तरदायी होगी तथा औद्योगिक विवाद प्रस्तुत करने का अधिकार भी नहीं होगा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा उपरोक्त दायित्वों के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायी नहीं होगा।

18. उक्त निविदा में भाग लेने वाली फर्म / एजेन्सी को इस क्षेत्र में (राजकीय / अर्द्ध राजकीय / राज्य शासित निकायों) न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक हैं। इसके लिये अनुभव एवं किये गये कार्यों का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक हैं। बिना अनुभव प्रमाण पत्रों के निविदा निरस्त योग्य होगी।

19. निविदादाता द्वारा ऑपरेटर्स को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से बैंक खाते में ही किया जायेगा एवं जमा कराये गये पारिश्रमिक से पी.एफ. की राशि स्वयं के स्तर पर काटेगा तथा कर्मचारी एवं नियोक्ता के अंशदान की राशि भविष्य निधि संगठन में जमा कराना आवश्यक होगा। मासिक आधार पर निविदादाता को पी.एफ. जमा कराए जाने के साक्ष्य यथा चालान मय ई.सी.आर. की प्रति पिछले माह के बिल के साथ मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। तत्पश्चात् ही आगामी महिनों के बिल पारित किये जाना सम्भव हो सकेगा।

20. उपलब्ध करवाए गये कम्प्यूटर ऑपरेटर्स में समस्त को हिन्दी / अंग्रजी टाइपिंग का ज्ञान होना अनिवार्य है एवं सभी ऑपरेटर्स को हिन्दी (मंगल फोन्ट) का ज्ञान आवश्यक रूप से होना चाहिए।

21. आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की संख्या में कमी या बढ़ोतरी करने का अधिकार मण्डल कार्यालय का होगा। अतिरिक्त मांग की स्थिति में मैन विद मशीन कार्यादेश देने के 3 दिवस में उपलब्ध कराना होगा।

22. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी को होगा।

23. निविदा के सम्बंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उपरोक्त विवाद का निर्णय मध्यस्थ (Arbitrator) द्वारा किया जायेगा। जिसके लिए राज्य मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी मध्यस्थ होंगे। मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।

24. यदि कोई कम्प्यूटर ऑपरेटर माह में चार दिवस से अधिक अनुपस्थित रहता है तो देय नियमित पारिश्रमिक के अतिरिक्त 200 / – रूपये प्रतिदिन शास्ति के बिल में से काटे जावेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औधोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2020–21 / दिनांक :

25. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए। कम्प्यूटर व अन्य उपकरण की स्थापना से पूर्व निविदादाता को मशीनें मण्डल के I.T. अनुभाग में प्रस्तुत कर उन्हें निर्धारित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होने के लिए प्रमाणित करवाना होगा। मशीनें प्रमाणित होने के पश्चात् ही कम्प्यूटर स्थापित होना माना जावेगा।
26. निविदाकार का दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता के अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होंगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नये टोनर / नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जावेगा तत्पश्चात् विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
27. किसी भी माह के चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बन्द नहीं रखा जावेगा यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। उससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बन्द रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 200 / – की अतिरिक्त कटौती की जावेगी।
28. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी सम्बंधित विभाग की नहीं होगी।
29. दरें नियत स्थान पर शब्दों एवं अंकों में लिखना आवश्यक है। त्रुटि या Over Write नहीं होना चाहिए। यदि शुद्धि करनी है तो वह स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
30. आपूर्तिकर्त्ता अपनी संविदा या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को Sublet नहीं करेगा।
31. निविदादाता द्वारा कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की दरें श्रम विभाग के द्वारा जारी परिपत्र के अनुरूप ही प्रस्तुत की जानी है।
32. न्यूनतम मजदूरी दरों में राज्य सरकार / श्रम विभाग द्वारा परिवर्तित / संशोधित दरें प्रभावी होगी।
33. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बंधित संवेदक का होगा तथा उपायन संख्या के द्वारा भी श्रम विभाग की समय समय पर वृद्वि की गई दरे दी जायेगी।
34. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बंध / संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने / ई.एस. आई. करवाने / सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
35. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।
36. इस निविदा की समस्त कार्य विधि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अध्यधीन पूर्ण की जावेगी। इस निविदा में लिखित शर्तों व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 में अन्तर होने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधान ही लागू होंगे।
37. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना सफल निविदादाता द्वारा की जावेगी।
38. सफल निविदादाता वित्त (G&T) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः एफ.2(1)वित्त / एसपीएफसी / 2017 संख्या 1 / 2018 जयपुर, दिनांक 30.04.2018 के अनुसार तथा निविदा से सम्बंधित समय–समय पर जारी समस्त लागू आदेश / परिपत्र आदि के सभी सम्बंधित बिन्दुओं की पालना के लिए उत्तरदायी रहेगा।
39. संविदा की अवधि सामान्य रूप से कार्य आदेश जारी करने से एक वर्ष होगी तथा यदि फर्म का कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो उपायन संख्या आपसी सहमति से एक वर्ष के लिए ओर वृद्वि भी की जा सकेगी।
40. बिड़ की अमानत राशि 2 प्रतिशत DD के माध्यम से अथवा बिल / विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.12.2021 एवं 23.12.2021 के द्वारा निर्धारित प्रतिभूति घोषणा पत्र निर्धारित पर देय समय ड्यूटी शुल्कों सहित प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है इसके बिना बिड़ स्वीकार नहीं की जावेगी।
41. बिड़ के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में या किसी नियम के अभाव की स्थिति में G.F4AR/RTPP के नियम मान्य होंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2020–21 /   दिनांक :

बिड प्रपत्र

संदर्भ–निविदा सूचनाः 02 / 2021–22 /   दिनांकः

प्रयोगशाला परिचारक की सेवाएं संविदा पर ऐजन्सी के माध्यम से दिये जाने हेतु बिड–

1. बिडदाता / फर्म का नाम व पताः

––––––––––––––––––––––––––(मय दूरभाष / मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल)

पते (यदि हो) सहित बोलीदाता / संवेदक द्वारा विभिन्न आवश्यक पंजीकरण इत्यादि का विवरणः–

क्र. सं.	विवरण	रजि. संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

2. बिड प्रपत्र देने का पताः — क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राज0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्लाट नं. 2ए रोड़ न 6 इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा
3. मूल डी॰डी॰ जमा कराने का पताः — क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राज0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्लाट नं. 2ए रोड़ न 6 इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा
4. मूल डी॰डी॰ जमा कराने की — जमा कराने की अन्तिम तिथिः 24.07.2020 अन्तिम तिथि एवं समयः समयः दोपहर 02.00 बजे बिड शुल्क का विवरणः राशि रूपये 200/– प्रति बिड (जो क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, डी.डी./बैंकर्स चैक सं॰––––– दिनांकः–––––– कोटा, के पक्ष में देय हो) डी.डी./बैंकर्स चैक सं॰––––– दिनांकः––– बैंक का नाम–––––––––––
5. अमानत राशिः — राशि रू. 7000 (सात हजार मात्र)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2020–21 /

दिनांक :

(जो क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, डी.डी. / बैंकर्स चैक सं॰——— दिनांकः——— कोटा, के पक्ष में देय हो) बैंक का नाम————————————

6. निविदा दरें निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होंगी (संवेदक द्वारा Online Bid में Box No.8,9 में दरें भरी जानी है):–

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सामग्री राशि / उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिक की संख्या	राशि (प्रतिमाह)	प्रतिमाह	प्रतिमाह	प्रतिमाह / प्रति व्यक्ति (दर पूर्ण रुपये में अंकित की जावे)	प्रतिमाह / प्रति व्यक्ति (दर पूर्ण रुपये में अंकित की जावे)	प्रतिमाह / प्रति व्यक्ति
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	प्रयोगशाला परिचारक	कुशल	7176 / –	3	21528	12%	3.25%			

7. बिडदाता का विवरण एवं अनुभव प्रमाण पत्रः बिड आवेदनकर्ता अपनी फर्म / एजेन्सी का पूर्ण विवरण, कन्सटीट्यूशन एवं अनुभव का पूर्ण विवरण मय तत्संबंधी प्रमाण पत्रों के संलग्न करें।

8. निविदादाता द्वारा संलग्न किये गये दस्तावेजों की सूची (सूची अलग से भी निम्न प्रारूप में संलग्न की जा सकती है):–

क्रम संख्या	संलग्न दस्तावेज का नाम	निविदा में पृष्ठ संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

9. मैंनें / हमनें बिड प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है। हमें सभी शर्तें मान्य होने बाबत् शर्तों पर सहमति के पश्चात् हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम...

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

☎: 0744–2490873

क्षैत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट–2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औघोगिक क्षैत्र, कोटा –324004

rorpcb.kota@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम / क्षेका को / जन–325 / 2020–21 / दिनांक :

प्रयोगशाला परिचारक हेतु विशिष्ट नियम एवं शर्तेः–

1. कर्मचारी को प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई मानदेय का भुगतान नही किया जायेगा।
2. निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी।
3. कर्मचारी की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
4. प्रयोगशाला परिचारक का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नही रहने, लापरवाही बरतने पर मण्डल निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना होगा।
5. उपलब्ध कराये गये कर्मचारी के फोटो पहचान पत्र एवं 12वी पास का प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
6. किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम कोटा का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा।
7. सभी विवादों को न्यायिक क्षेत्र, कोटा न्यायलय ही रहेगा।
8. कर्मचारी घटाने बढ़ाने का अधिकार अधोहस्तारकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा तथा उनकी सेवाए बिना किसी सुचना के समाप्त की जा सकती है।
9. राज्य सरकार द्वारा प्रयोगशाला परिचारक के संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों / नियम निविदादाता को मान्य होगे।
10. प्रयोगशाला परिचारक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। मण्डल की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम..

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा